



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, नवम्बर 2—नवम्बर 8, 2014, शनिवार/कार्तिक 11—कार्तिक 17, 1936  
No. 45] NEW DELHI, NOVEMBER 2—NOVEMBER 8, 2014, SATURDAY/KARTIKA 11—KARTIKA 17, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 233.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,—

(i) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है”;

- (ii) उक्त नियमों की अनुसूची में,-
- (क) स्तम्भ 2 के अधीन प्रविष्टि में, “60” अकों के स्थान पर “61” अंक रखे जाएंगे ;
- (ख) स्तम्भ 12 के अधीन प्रविष्टि में, क्रम संख्या 1 में, दोनों स्थानों पर आने वाले “निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण-अध्यक्ष” शब्दों के स्थान पर “निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण-अध्यक्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 2/10/2012-सीएसजेड]  
आर डलवानी, सलाहकार

**टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 11(अ) तारीख 3 जनवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 7th November, 2014

**G.S.R. 233.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Zoological Survey of India, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Zoological Survey of India, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment (amendment) Rules 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Environment Forests, Zoological Survey of India, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012 (hereinafter Referred to as the said rules ),-

(i) In rule 1 relating to short title and Commencement, for sub-rule (i), following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(i) These rules may be called the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Zoological Survey of India, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012";

(ii) In the Schedule to the said rules,-

(a) in the entry under column 2, for the figures "60", the figures "61" shall be substituted;

(b) in the entry under column 12, for the words "Director, Botanical Survey of India - Chairman" occurring against serial number 1 at both the

Places, the words "Director, Zoological Survey of India - Chairman" shall respectively, be substituted.

[F.NO.2/10/2012-CSZ]

R. DALWANI, Advisor

**Note:**—The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 11(E), dated the 3rd January, 2013.